बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

संoसंo–2/एमoएमo (बाo) 54/18–................../एमo, पटना, दिनांक–..........................

प्रेषक,

संजय कुमार,
सहायक निदेशक (मुo)।

Web/
E-mail/whats-
App

सेवा में,

खान निरीक्षक,
जिला खनन कार्यालय,
बाँका।

विषयः– ई–रिवर्स ऑक्शन के माध्यम से बंदोबस्त सिंगेश्वरी बालूघाट के Secondary Loading Point पर भंडारित बालू के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में निदेशानुसार कहना है कि बाँका जिलान्तर्गत ई–रिवर्स ऑक्शन के माध्यम से बंदोबस्त सिंगेश्वरी बालूघाट के बंदोबस्तधारी से प्राप्त पत्र में उक्त बालूघाट के Secondary Loading Point पर भंडारित बालू के बिक्री के संबंध में अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि नदी तट से 300 फीट तक के क्षेत्र में बालू स्टॉक करने की सुविधा केवल पुराने बंदोबस्तधारियों को है, Reverse auction के माध्यम से चयनित बंदोबस्तधारियों को नहीं। Reverse auction के माध्यम से नव बंदोबस्त बंदोबस्तधारियों को BMMC Rules, 1972 के नियम–49 के तहत भंडारण अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के उपरांत ही भंडारण करना है।

प्राप्त पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेशित किया जाता है कि आवेदक के भंडारण स्थल का भौतिक निरीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कार्रवाई प्रतिवेदन सुविचारित मंतव्य के साथ मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाए।

अनुoः–यथोक्त।

विश्वासभाजन
हo/–
सहायक निदेशक (मुo)

ज्ञापांक–../एमo, पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता, बाँका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

हo/–
सहायक निदेशक (मुo)

ज्ञापांक–.....2951...................................../एमo, पटना, दिनांक– 17/7/18

प्रतिलिपिः– I.T Manager, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/7/18

16/7

सहायक निदेशक (मुo)

D/MANOJ/ALOK JI/DRAFT